

29-12-16

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उप०।  
अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री तेजपाल तोमर।  
प्रकरण उर्पापण तर्क हेतु नियत है।  
उभयपक्षों के तर्क सुने गये।

अभियोजन कथा के अनुसार दिनांक 04.11.15 को फरियादी सुरेश का लडका सौरभ तोमर उर्फ बबलू उम्र करीब 14 साल घर से कोचिंग पढने सुबह सात बजे ग्राम बकनासा गया था, करीब 1:15 बजे वापस नीमडांडा आता था जो घर वापस नहीं आया। गांव नीमडांडा से और भी बच्चा कोचिंग जाते थे उनसे पूछा तो बताया कि कोचिंग तो गया था छुट्टी होने के बाद नहीं आया है। फरियादी ने लडके को तलाश किया लेकिन नहीं मिला, लडके को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में की जिस पर से अप०क०-133/15 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 365, 368 भादवि० के अधीन अभियोगपत्र पेश किया गया है। अभियुक्त का मामला अन्नयता माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण द०प्र०स० की धारा 209 के आलोक में उपार्पित किया गया।

प्रकरण में द०प्र०स० की धारा 207 के अधीन अभियोगपत्र एवं सलग्न दस्तावेजों की प्रति पूर्व में दिलाई जा चुकी है।

प्रकरण में निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय में प्रकरण को सुव्यवस्थित कर पहुंचाये जाने की व्यवस्था करे। साथ ही लोक अभियोजक को उर्पापण सबधी सूचना भेजी जाए।

उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर को प्रकरण में जप्तशुदा सपत्ति को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु भेजी जाए।

अभियुक्त यदि अभिरक्षा में रहा हो तो उनके अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना निष्पादन लिपिक सुनिश्चित कराये।

अभियुक्त को निर्देशित किया गया कि आगामी दिनांक को मान० प्रथम अपर सत्र न्यायालय गोहद में उप० रहे

प्रकरण मान० अपर सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 16.01.17 को पेश हो।

सही / -

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)